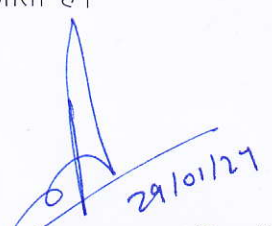


ब-अदालत अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।

आर० एम० वाद सं०-106/2020-21

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित
1	2	3
	आदेश प्रस्तुत आर० एम० वाद संख्या-106/2020-21 वकील मुर्मू, पिता-स्व० भीखु मुर्मू, साकिन-प्रतापपुर, अंचल-मारगोमुण्डा, जिला-देवघर के द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा-27 के तहत मौजा-प्रतापपुर, दाग नं०-02, रकबा-02.50 एकड़ जमीन की बन्दोवस्ती की सूचना संचित करने हेतु दाखिल आवेदन के आलोक में प्रारम्भ किया गया है। 02. इस संबंध में अंचल अधिकारी, मारगोमुण्डा से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक-190/रा०, दिनांक-05.06.2023 द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है। अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा-प्रतापपुर, थाना नं०-393, गैरमजरूवा खाता नं०-15, दाग नं०-02, किस्म-जंगल शाल कहकर खतियान में दर्ज है। 03. उपायुक्त, देवघर के न्यायालय के राजस्व विविध अपील संख्या-55/1997-98 में दिनांक-03.11.2017 को पारित आदेश के आलोक में जंगल भूमि की बन्दोवस्ती की सूचना संचित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः उक्त वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।  लेखापित एवं शुद्धित अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।  अनुमंडल पदाधिकारी, मधुपुर।	